आज़ादी का अमृत महोत्सव

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श वि/मॉनिटरिंग/61070/2018–19/73 दिनांक 22.11.2021

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं
पदेन जिला परियोजना समन्वयक,
समग्र शिक्षा, समस्त जिले।

विषयः–वर्ष 2021–22 बजट घोषणा संख्या 126 की अनुपालना में प्रदेश के सभी जिलों में इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्र की स्थापना हेतु शिक्षा विभाग की गतिविधियों के क्रम में।
प्रसंगः– शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर के पत्रांक–प.17(1)शिक्षा–1/बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ/2020 जयपुर दिनांक 28.09.2021 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि **माननीय मुख्यमंत्री महोदय** द्वारा **वर्ष 2021–22 बजट घोषणा संख्या 126 की अनुपालना** में प्रदेश के सभी जिलों की महिलाओं की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक समस्या को सुनने, समस्याओं का समाधान करने एवं परामर्श सुविधा के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर **इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्र** की स्थापना की जानी है।

उक्त के संबंध में इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्र (आईएम) दैनिक प्रशासन और संचालन के लिए दिशा– निर्देश एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया की **प्रति संलग्न** कर लेख है कि अपने जिले के जिला मुख्यालय पर चयनित विद्यालयों में (सूची संलग्न) कैरियर काउंसलिंग/किशोरावस्था में आने वाली मानसिक समस्याओं व माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन पर जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए **परामर्शदाताओं को उचित स्थान/बैठने की** व्यवस्था व अन्य सहयोग हेतु संबंधित विद्यालय के **संस्था प्रधान को पाबंद करना सुनिश्चित करें।**

इसे सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें।

Rajasthan Education Department

संलग्नः– उपर्युक्तानुसार

20.11.21

(काना राम)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक–शिविरा–मा/माध्य/आदर्श वि/मॉनिटरिंग/61070/2018–19/73 दिनांक 22.11.2021
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति.मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् सह विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा एवं अति.आयुक्त, रास्कूलशिप., जयपुर।
5. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
6. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
7. शासन उप सचिव, शिक्षा (ग्रुप–1/2/5)/प्रारंभिक शिक्षा (संस्थापन)/प्रारंभिक शिक्षा (आयोजना), राजस्थान, जयपुर।
8. अति.राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, रा.स्कूलशिप,जयपुर।
9. **समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि अपने क्षेत्राधिकार के समस्त जिलों में उक्तानुरूप पालना/कार्यवाही सुनिश्चित करावें।**
10. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक शिक्षा।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–प्रारंभिक शिक्षा।

कार्यालय का पताः– कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर
दूरभाषः– 0151–2522238 ई–मेलः–dserajadarsh.edu@rajasthan.gov.in

Scanned by CamScanner

12. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
13. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं पदेन बी.आर.सी.एफ., समग्र शिक्षा।
14. समस्त पदेन पंचायत प्रारंभिक शिक्षाधिकारी (पीईईओ)/सीआरसीएफ एवं शहरी संकुल प्रारंभिक शिक्षाधिकारी/ सीआरसीएफ तथा संस्था प्रधान।
15. **उपनिदेशक (योजना), कार्यालय हाजा।**
16. **उपनिदेशक, शाला दर्पण, रा.स्कूल शि.प.,जयपुर एवं सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, प्रा.शि/मा.शि. ,राज.,बीकानेर।**
17. प्रभारी अधिकारी, आदर्श एवं उत्कृष्ट विद्यालय प्रकोष्ठ, रास्कूलशिप., जयपुर।
18. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
19. स्टाफ ऑफिसर, माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा, राज0, बीकानेर।
20. रक्षित पत्रावली।

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

जिला मुख्यालय पर चयनित विद्यालयों की सूची

S.No.	NIC Code	UDISE	District	Block	Nagar Nigam/Nagar Parishad/Nagar Palika	Ward No.	School	Category	School_Type
1	221872	08211502609	AJMER	AJMER(U)	AJMERCITY (URBAN AREA)	NP_AJMERCITY_WARD NO. 26	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SAVITRI AJMER (221872)	1-12	Girls
2	221876	08211505210	AJMER	AJMER(U)	AJMERCITY (URBAN AREA)	NP_AJMERCITY_WARD NO. 52	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL CENTRAL PURANI MANDI AJMER (221876)	1-12	Girls
3	215737	08060819725	ALWAR	UMRAIN	NP ALWAR	NP ALWAR_WARD NO. 16	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SMD MOTI DUNGRI ALWAR (215737)	1-12	Girls
4	215729	08060816714	ALWAR	UMRAIN	NP ALWAR	NP ALWAR_WARD NO. 46	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL RG KHANNA SC.2 ALWAR (215729)	1-12	Girls
5	223869	08281013906	BANSWARA	BANSWARA	NP BANSWARA	NP BASWARA_WARD NO. 010	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KHANDU COLONY (223869)	1-12	Girls
6	223866	08281013201	BANSWARA	BANSWARA	NP BANSWARA	NP BASWARA_WARD NO. 021	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL CHANDRAPOL GATE BANSWARA (223866)	1-12	Girls
7	216864	08310116305	BARAN	BARAN	NP BARAN (CITY)	BARAN WARD NO 12	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SHREERAM STADIUM BARAN (216864)	1-12	Girls
8	216860	08310115312	BARAN	BARAN	NP BARAN (CITY)	BARAN WARD NO 2	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL KOTA ROAD BARAN CITY (216860)	1-12	Co-Ed
9	220912	08170637001	BARMER	BARMER	NP BARMER CITY	NP BARMER_WARD 24	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MAL GODAM ROAD VEER DURGADAS MARG BARMER (220912)	1-12	Girls
10	220894	08170637708	BARMER	BARMER	NP BARMER CITY	NP BARMER_WARD 31	ANTRI DEVI GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL LAXMIPURA BARMER (220894)	1-12	Girls
11	217227	08070524202	BHARATPUR	SEWAR	N.P. BHARATPUR	NP BHARATPUR_WARD NO.31	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL S.B.K. CITY AAYURVED HOSPITL K SAMNE BHARATPUR (217227)	1-12	Girls
12	217219	08070518335	BHARATPUR	SEWAR	N.P. BHARATPUR	NP BHARATPUR_WARD NO.3	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL SEWAR (217219)	1-12	Girls
13	222512	08240848604	BHILWARA	SUWANA	NP_BHILWRA	WARD NO. 19	SETH MURLIDHAR MANSINGHKA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BHILWARA (222512)	1-12	Girls

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

S.No.	NIC Code	UDISE	District	Block	Nagar Nigam/Nagar Parishad/Nagar Palika	Ward No.	School	Category	School_Type
14	222508	08240847804	BHILWARA	SUWANA	NP_BHILWRA	WARD NO. 27	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL GULMANDI BHILWARA (222508)	1-12	Girls
15	211259	08030130405	BIKANER	BIKANER	NN_BIKANER	NN_BIKANER_WARD NO.10	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MAHARANI (211259)	6-12	Girls
16	211227	08030126006	BIKANER	BIKANER	NN_BIKANER	NN_BIKANER_WARD NO.54	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MAHARSHI DAYANAND MARG OLD JAIL ROAD BIKANER (211227)	1-12	Girls
17	222341	08230516103	BUNDI	BUNDI	NP BUNDI	BUNDI_WARD NO. 004	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL VIKASNAGAR BUNDI (222341)	1-12	Girls
18	222345	08230517605	BUNDI	BUNDI	NP BUNDI	BUNDI_WARD NO. 019	MAHARANI GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BUNDI (222345)	1-12	Girls
19	224205	08290525502	CHITTAURGARH	CHITTORGARH	NP_CHITTORGARH	NP CHITTORGARH_WARD NO.14	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL, STATION, CHITTORGARH (224205)	1-12	Girls
20	224203	08290525014	CHITTAURGARH	CHITTORGARH	NP_CHITTORGARH	NP CHITTORGARH_WARD NO.19	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL CHITTORGARH (224203)	1-12	Girls
21	215423	08040412906	CHURU	CHURU	NP CHURU	NP CHURU_WARD NO 11	PARAKH GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL NP CHURU WARD NO 15 BLOCK CHURU DISTRICT CHURU (215423)	1-12	Girls
22	215426	08040416101	CHURU	CHURU	NP CHURU	NP CHURU_WARD NO 43	SETH LAXMI NARAYAN BAGLA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL CHURU (215426)	9-12	Girls
23	218127	08110228001	DAUSA	DAUSA	NP DAUSA	NPDAUSA_WARD24	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL GANDHI CHOWK DAUSA (218127)	1-12	Girls
24	218124	08110226703	DAUSA	DAUSA	NP DAUSA	NPDAUSA_WARD11	ANAND SHARMA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL DAUSA (218124)	6-12	Girls
25	211786	08080325103	DHAULPUR	DHOLPUR	NAGAR PALIKA	NP DHOLPUR_WARD N.18	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL DHOLPUR (211786)	1-12	Girls
26	211789	08080326502	DHAULPUR	DHOLPUR	NAGAR PALIKA	NP DHOLPUR_WARD N.32	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL DHOLPUR (211789)	1-12	Co-Ed
27	222445	08270219401	DUNGARPUR	DUNGARPUR	NP DUNGARPUR	NP DUNGARPUR_WARD NO.29	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL,TOWN DUNGARPUR (222445)	1-12	Girls

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

S.No.	NIC Code	UDISE	District	Block	Nagar Nigam/Nagar Parishad/Nagar Palika	Ward No.	School	Category	School_Type
28	222442	08270218202	DUNGARPUR	DUNGARPUR	NP DUNGARPUR	NP DUNGARPUR_WARD NO.5	DEVENDRA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL DUNGARPUR (222442)	1-12	Girls
29	211882	08010129602	GANGANAGAR	SRI GANGANAGAR	NP_SRI GANGANAGAR	NP GANGANAGAR_WARD 12	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL NO.2 PURANI AABADI (211882)	1-12	Girls
30	211883	08010129709	GANGANAGAR	SRI GANGANAGAR	NP_SRI GANGANAGAR	NP GANGANAGAR_WARD 13	ANUPAM DHINGRA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL NO. 4 (211883)	1-12	Girls
31	212330	08020142706	HANUMANGARH	HANUMANGARH	NP HANUMANGARH	NP HMH_WARD NO-18	SETH RADHAKISHAN BIHANI GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL HANUMANGARH TOWN (212330)	1-12	Girls
32	212328	08020140818	HANUMANGARH	HANUMANGARH	NP HANUMANGARH	NP HMH_WARD NO-37	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL HANUMANGARH JUNCTION (212328)	1-12	Girls
33	218959	08122607412	JAIPUR	JAIPUR WEST	JAIPUR NN PART2	WARD NO.74 JAIPUR CITY	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MAHARAJA CHOTI CHOPAR JAIPUR (218959)	1-12	Girls
34	218967	08122608104	JAIPUR	JAIPUR WEST	JAIPUR NN PART2	WARD NO.81 JAIPUR CITY	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL NAHRI KA NAKA JAIPUR (218967)	1-12	Girls
35	220461	08160113938	JAISALMER	JAISALMER	NP JAISALMER	JAISALMER	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL JAISALMER (220461)	1-12	Girls
36	220469	08160126103	JAISALMER	JAISALMER	NP JAISALMER	NP JAISALMER_WARD NO.1	AMAR SHAHID SAGARMAL GOPA GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JAISALMER (220469)	1-12	Co-Ed
37	221148	08180208504	JALOR	JALORE	NP JARORE	NP JALORE_WARD NO.14	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL PRATAP CHOWK JALORE (221148)	1-12	Girls
38	221149	08180210201	JALOR	JALORE	NP JARORE	NP JALORE_WARD NO.24	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JALORE (221149)	1-12	Co-Ed
39	224519	08320249806	JHALAWAR	JHALARAPATAN	NP JHALAWAR	NP JHALAWAR WD_NO 10	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MANGALPURA JHALAWAR (224519)	1-12	Girls
40	224516	08320248307	JHALAWAR	JHALARAPATAN	NP JHALAWAR	NP JHALAWAR WD_NO 25	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHALAWAR (224516)	1-12	Co-Ed
41	211581	08050115907	JHUNJHUNUN	JHUNJHUNU	JHUNJHUNU CITY (NP)	NP JHUN WARD NO. 22	J K MODI GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL JHUNJHUNU (211581)	1-12	Girls
42	211582	08050116002	JHUNJHUNUN	JHUNJHUNU	JHUNJHUNU CITY (NP)	NP JHUN WARD NO. 21	SHAHEED COLONEL J P JANU GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL JHUNJHUNU (211582)	1-12	Co-Ed

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

S.No.	NIC Code	UDISE	District	Block	Nagar Nigam/Nagar Parishad/Nagar Palika	Ward No.	School	Category	School_Type
43	220382	08151503709	JODHPUR	JODHPUR CITY	NN JODHPUR	NN JODHPUR_WARD NO. 37	SH CHAGANRAJ CHOPASANI WALA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL JALORI GATE JODHPUR (220382)	1-12	Girls
44	220416	08151506510	JODHPUR	JODHPUR CITY	NN JODHPUR	NN JODHPUR_WARD NO. 65	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SOORSAGAR (220416)	1-12	Girls
45	212486	08090125901	KARAULI	KARAULI	NP KARAULI	NP KARAULI_WARD NO.-13	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KARAULI (212486)	1-12	Girls
46	212487	08090126506	KARAULI	KARAULI	NP KARAULI	NP KARAULI_WARD NO.-19	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL KARAULI (212487)	1-12	Girls
47	216799	08300603217	KOTA	KOTA	N N KOTA	NN KOTA WARD NO 32	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SHRIPURA KOTA (216799)	1-12	Girls
48	216757	08300600560	KOTA	KOTA	N N KOTA	NN KOTA WARD NO 5	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MAHAVEER NAGAR 3 KOTA (216757)	1-12	Girls
49	219895	08140816002	NAGAUR	NAGAUR	NP NAGAUR CITY	NP NAGAUR_WARD NO 22	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL GINANI NAGAUR (219895)	1-12	Girls
50	219900	08140818802	NAGAUR	NAGAUR	NP NAGAUR CITY	NP NAGAUR_WARD NO 4	SHRIMATI RATAN BAHAN RAJMAL CHOUDHARY GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL NAGAUR (219900)	1-12	Girls
51	221485	08201712602	PALI	PALI	NP PALI	NP PALI_WARD NO. 19	SETH MUKANCHAND BALIYA GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL PALI (221485)	1-12	Girls
52	221488	08201715401	PALI	PALI	NP PALI	NP PALI_WARD NO. 47	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MILL AREA PALI (221488)	1-12	Girls
53	217788	08331371762	PRATAPGARH	PRATAPGARH	NP PRATAPGARH	NP PRATAPGARH_WARD NO.01	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL KILA ROAD (217788)	1-12	Girls
54	217789	08331371763	PRATAPGARH	PRATAPGARH	NP PRATAPGARH	NP PRATAPGARH_WARD NO.01	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PRATAPGARH (217789)	1-12	Co-Ed
55	222937	08250614002	RAJSAMAND	RAJSAMAND	NP RAJSAMAND	NP RAJSAMAND_WD NO.1	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL DHOBI GALI RAJNAGAR-RAJSAMAND (222937)	1-12	Girls

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

S.No.	NIC Code	UDISE	District	Block	Nagar Nigam/Nagar Parishad/Nagar Palika	Ward No.	School	Category	School_Type
56	222941	08250615701	RAJSAMAND	RAJSAMAND	NP RAJSAMAND	NP RAJSAMAND_WD NO.18	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL AASOTIYA KANKROLI DIST-RAJSAMAND (222941)	1-12	Girls
57	217962	08100516011	S.MADHOPUR	SAWAI MADHOPUR	SAWAI MADHOPUR	NP SWM_WARD NO. 03	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL MANTOWN (217962)	1-12	Girls
58	217967	08100519901	S.MADHOPUR	SAWAI MADHOPUR	SAWAI MADHOPUR	NP SWM_WARD NO. 24	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL WARD CITY SAWAIMADHOPUR (217967)	1-12	Girls
59	219154	08130512201	SIKAR	PIPRALI	NP_SIKAR	NP SIKAR_WARD NO.24	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL BAJAJ ROAD SIKAR (219154)	1-12	Girls
60	219149	08130510601	SIKAR	PIPRALI	NP_SIKAR	NP SIKAR_WARD NO.40	RADHA KRISHNA MAROO GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL FATEHPUR ROAD SIKAR (219149)	6-12	Girls
61	213957	08190310304	SIROHI	SIROHI	NP_SIROHI	WARD_NO-19	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL SIROHI (213957)	1-12	Girls
62	213953	08190308711	SIROHI	SIROHI	NP_SIROHI	WARD_NO-3	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL NEW BUILDING SIROHI (213953)	1-12	Co-Ed
63	222018	08220227915	TONK	TONK	NP TONK	NP TONK_WARD NO. 14	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL NEW TONK (222018)	1-12	Girls
64	222021	08220228503	TONK	TONK	NP TONK	NP TONK_WARD NO. 20	MAHATMA GANDHI GOVT. SCHOOL GULZARBAGH TONK (222021)	1-12	Girls
65	223303	08260521501	UDAIPUR	GIRWA	NN_UDAIPUR	NN_UDAIPUR_WARD NO. 25	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL HIRAN MAGRI SECTOR -11 (223303)	1-12	Girls
66	223294	08260520208	UDAIPUR	GIRWA	NN_UDAIPUR	NN_UDAIPUR_WARD NO. 38	GOVT. GIRLS SENIOR SECONDARY SCHOOL RESIDENCY MADHUBAN CHETAK (223294)	1-12	Girls

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

Scanned by CamScanner

इन्दिरा महिला शक्ति केंद्र
(आईएम शक्ति केंद्र)
दैनिक प्रशासन और संचालन के लिए दिशा निर्देश
Guidelines
एवं
सेवाएं प्रदान करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया
SOP – Standard Operating Procedures

Rajasthan Education Department

महिला अधिकारिता निदेशालय
महिला और बाल विकास मंत्रालय
राजस्थान सरकार
जयपुर

Scanned by CamScanner

इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र के दैनिक प्रशासन और संचालन के लिए दिशा निर्देश एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया

(177)

1. <u>केन्द्र संचालन एवं संवेदक/सेवा प्रदाता का चयनः–</u>

I. वित्त (G&T) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 2 (1) वित्त / एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 संख्या 1/2018 में प्रदत्त निर्देशानुसार मानव सेवाओं/संसाधनों के उपापन हेतु निदेशालय स्तरीय प्रकोष्ठ एवं जिला स्तरीय इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र का संचालन संवेदक/सेवा प्रदाता के द्वारा किया जायेगा। संवेदक/सेवा प्रदाता को राजकीय/गैर राजकीय संस्थानों में मानव संसाधन सेवाएँ उपलब्ध कराने का न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

II. जिला स्तरीय केन्द्र के उपापन की समस्त कार्यवाही महिला अधिकारिता विभाग के संबंधित जिला कार्यालय द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013 के तहत गठित कमेटी द्वारा की जाएगी। निदेशालय स्तरीय उपापन कार्यवाही निदेशालय की उपापन समिति द्वारा की जाएगी। उक्त संवेदक/सेवा प्रदाता का चयन राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 व नियम 2013, सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम तथा वित्त विभाग के परिपत्र वित्त (G&T) क्रमांक एफ 2(1)वित्त/एसपीएफसी/2017 दिनांक 30.04.2018 संख्या 1/2018 व समय–समय पर जारी निर्देशों के अधीन बोली आमंत्रित करके किया जाएगा।

III. **इंदिरा महिला शक्ति योजना हेतु वित्त विभाग से अनुमोदित वित्तीय प्रस्ताव निम्नानुसार हैः–**

प्रत्येक जिले में इंदिरा महिला शक्ति केन्द्रों पर निम्नानुसार व्यय प्रस्तावित हैः–

क्र.स.	व्यय विवरण	राशि (लाखों में)
1	**स्थायी व्ययः** (फर्नीचर, कम्प्यूटर मय प्रिन्टर, बोर्ड पेन्ट, स्टेशनरी आदि)	2.00
2	**वार्षिक व्ययः** टेलीफोन मय इन्टरनेट व्यवस्था–रू. 20,000X33 जिले (प्रति जिला–रू. 20,000 आवर्तीमासिक)	6.60

Rajasthan Education Department

Scanned by CamScanner

3	**आवर्ती मासिक व्ययः** मासिक मानेदय विशेषज्ञ/परामर्शदात्री प्रतिमाह 20000 रूपये मासिक कम्प्यूटर ऑपरेटर 15000 रूपयें मासिक सहायक कर्मी 12000 रूपये मासिक अन्य आकस्मिक व्यय (मासिक) कुल	 1.20 0.15 0.12 0.03 1.50

प्रथम चरण में प्रत्येक जिले के इस प्रकार वार्षिक वांछित राशि–
टेलीफोन मय इन्टरनेट व्यवस्था– रू. 20,000 वार्षिक
रू. 1.50 लाख X 12 माह = 18 लाख होगी तथा
स्थायी व्यय सहित 20 लाख 20 हजार रूपयें यह राशि होगी।
33 जिलों के लिये यह राशि 20 लाख 20 हजार X 33 = 6 करोड़ 66 लाख 60 हजार रुपये होगी।

निदेशालय स्तर परः–

योजना के पर्यवेक्षण हेतु निदेशालय महिला अधिकारिता स्तर पर भी एक प्रकोष्ठ की स्थापना होगी, जिसमें कम्प्यूटर, प्रिन्टर, कार्मिक, परामर्शदात्री/ सलाहकार होंगी। जिस पर स्थायी व्यय 1 लाख रूपये तथा लगभग वार्षिक व्यय 5 लाख रूपये होगा।

उक्त कुल वित्तीय सीमाओं के अन्तर्गत आईएम शक्ति केन्द्र योजना के संवेदक के कार्मिकों के अनुभव एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुये तथा केन्द्र के कार्य के प्रति जिम्मेदारियों को ध्यान में रखते हुये मासिक मानदेय की न्यूनतम राशि निम्नानुसार निर्धारित की जा रही हैः–

जिला स्तर पर –

संवेदक/सेवा प्रदाता द्वारा जिला स्तर पर इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र पर उपलब्ध करवाये जाने वाले मानव संसाधन सेवाओं की स्थिति और मानदेय संरचना निम्नानुसार होगी–

क्र.सं.	पदनाम	संख्या	मासिक मानदेय (रुपये में)	महिला/पुरूष
1.	केन्द्र प्रबन्धक	01	न्यूनतम 30,000	केवल महिला
2.	परामर्शदाता/विशेषज्ञ	03	न्यूनतम 20000	केवल महिला
3.	आईटी कर्मचारी	01	न्यूनतम 15000	महिला/पुरुष
4.	बहुउद्देशीय सहायक	01	न्यूनतम 12000	महिला/पुरुष

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

संवेदक द्वारा उपलब्ध करवाये गये मानव संसाधन पर मासिक व्यय राशि रू. 1.47 लाख (समस्त कर सहित) से अधिक देय नहीं होगी। जिलों द्वारा उक्तानुसार निविदा आमंत्रित की जावेगी।

राज्य स्तर पर–

निदेशालय स्तरीय प्रकोष्ठ में संवेदक/सेवाप्रदाता द्वारा एक सलाहकार एवं एक आईटी कार्मिक की सेवाएं उपलब्ध करवायी जाएगी जिनकी स्थिति व मानदेय संरचना निम्नानुसार होगी।.

क्र.सं.	पदनाम	संख्या	मासिक मानदेय (रुपये में)	महिला/पुरूष
1.	सलाहकार	01	न्यूनतम 20000	महिला/पुरुष
2	आईटी कर्मचारी	01	न्यूनतम 15000	महिला/पुरुष

IV. जिला स्तरीय केंद्र के संचालन के लिये निर्धारित योग्यताधारी 3 परामर्शदाता/1 केन्द्र प्रबन्धक संवेदक/सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये जाएंगे। सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गये संविदा /कोन्ट्रेक्ट कार्मिको को ड्यूटी पर लगाने के संबंध में निदेशालय महिला अधिकारिता के पत्र क्रमांक एफ.1(3) (138) निमअ / स्था/2018/विविध / 2018–19 / 22300 –332 दिनांक 19.07.2021 की पालना सुनिश्चित की जाये।

V. उक्त निधारित प्रक्रिया से चयन उपरान्त संवेदक/मानव सेवा प्रदाता को राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 व नियम, 2013 तथा वित्त विभाग के परिपत्रों/निर्देशों एवं सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों के अधीन अनुबंध–पत्र निष्पादित करना होगा। उक्त नियमों के अधीन यह अनुबंध एकबार में अधिकतम दो वर्षों के लिए किया जा सकेगा। इसका उल्लेख बोली शर्तों में भी किया जाएगा। अनुबंध को आवश्यकतानुसार पारस्परिक सहमति से एवं संतोषप्रद सेवा होने पर समान शर्त व अनुबंध के तहत RTTP अधिनियम 2012 व नियम 2013 के अधीन नियमानुसार बढ़ाया जा सकेगा। अनुबंध समाप्ति उपरान्त नवीन संस्था का चयन आरटीपीपी अधिनियम 2012 व नियम 2013 के अनुसार पुनः उक्त निर्धारित प्रकिया द्वारा किया जाएगा।

VI. अनुबंध अवधि में यदि संवेदक/सेवाप्रदाता द्वारा प्रदत्त सेवाएं संतोषप्रद नही पायी जाती हैं अथवा जो संवेदक/सेवाप्रदाता नियमानुसार कार्य नहीं कर पायेगीं उन्हें विभाग के संबंधित कार्यालय द्वारा RTTP अधिनियम 2012 व नियम 2013 के नियमानुसार व अनुबन्ध की शर्तो के अनुसार कार्यवाही कर अनुवंध रद्द करते हुए कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा।

VII. जिला स्तरीय केन्द्र को प्रारंभ करने के लिए प्रत्येक जिला कार्यालय को राशि रूपये 2 लाख स्थायी व्यय के रूप में दिए जाएंगे। यह केन्द्र संचालन के लिए

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

180

केवल एक बार देय होंगे। उक्त राशि से केन्द्र संचालन के लिए आवश्यक उपकरण जैसे फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिंटर, बोर्ड, स्टेशनरी एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्री का क्रय संबंधित उप निदेशक/सहायक निदेशक महिला अधिकारिता द्वारा आर.टी.पीपी अधिनियम 2012 व नियम, 2013 के प्रावधानो के अन्तर्गत किया जाएगा। यदि किसी कारणवश कोई संवेदक/सेवा प्रदाता केन्द्र संचालन में असमर्थ रहती है या उसे कार्य करने के अयोग्य पाया जाता है तो यह सभी सामग्री उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता को सौंप दी जायेगी, जिसे उस केंद्र हेतु अन्य चयनित संवेदक/सेवाप्रदाता द्वारा काम में ली जा सकेगी। विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः— जिला स्तरीय इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्र

क्रं सं.	स्थाई सामग्री	संख्या	अधिकतम मूल्य
1.	फर्नीचर (कम्प्यूटर टेबल, टेबल,चेयर,विजिटिग चेयर ,आलमारी)	आवश्यकतानुसार	2,00,000 (दो लाख रूपये) अधिकतम
2.	कम्प्यूटर मय प्रिन्टर	1	
3.	बोर्ड, पेन्ट, स्टेशनरी आदि	आवयकतानुसार	

राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ हेतुः—

क्रं सं.	स्थाई सामग्री	अधिकतम मूल्य
1.	कम्प्यूटर मय प्रिन्टर	1,00,000 (एक लाख रूपये) अधिकतम

VIII. राज्य स्तरीय प्रकोष्ठ हेतु उक्त स्थाई सामग्री का उपापन आर.टी.पीपी अधिनियम 2012 व नियम, 2013 के अधीन निदेशालय स्तरीय उपापन समिति द्वारा किया जाएगा।

IX. दूरभाषः— जिला स्तरीय इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्रों हेतु दो टेलीफोन कनेक्शन होगे जिसमें एक बेसिक टेलीफोन वाई फाई व नेट कनेक्शन सहित होगा, व दूसरा बेसिक टेलीफोन केवल कॉलिंग के प्लान सहित होगा जिसे आवश्कतानुसार टोल फ्री नम्बर कराया जा सकेगा। दोनो टेलीफोन कनेक्शनों का कुल वाषिक व्यय अधिकतम 20,000 होगा।

X. बजटः— वित्तीय वर्ष 2021—22 में योजना पर बजट प्रावधान लेखाशीर्ष 2235—02—196—26—03—29 प्रशिक्षण, भ्रमण एवं सम्मेलन व्यय (सामान्य) में सें व्यय किया जावेगा। आगामी वित्तीय वर्षो के लिये बजट मद वित्त विभाग से अलग से स्वीकृत कराया जावेगा।

Rajasthan Education Department

Scanned by CamScanner

3 स्थानः– प्रत्येक जिला मुख्यालय पर कलेक्टर कार्यालय परिसर में या महिला बाल विकास विभाग के उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता कार्यालयों के परिसर में अथवा जिला स्तरीय धनलक्ष्मी केन्द्र पर इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र स्थापित किये जायेंगें। जिलों में प्रमुख आवाजाही स्थलों पर यदि राजकीय कार्यालय परिसर उपलब्ध है, जहां केंद्र स्थापना हेतु निर्माण कार्य यथासंभव नही कराना पड़े तो वह भी वैकल्पिक स्थान हो सकता है।

4. केन्द्र का समय–इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र प्रतिदिन – सोमवार से शनिवार प्रातः 9.00 बजे से सांय 6.00 बजे तक खुला रहेगा।रविवार एवं अन्य राजकीय अवकाश के दिनों में एक परामर्शदाता को किसी आपात अथवा आकस्मिक स्थिति में on call उपलब्धता के लिए नामांकित करेंगे, इसका एक रोस्टर बनाया जायेगा। ऐसे परामर्शदाता का नाम, पता व टेलीफोन नंबर नोटिस बोर्ड पर अंकित किया जायेगा ताकि संबंधित परामर्शदाता से सम्पर्क किया जा सके। रोस्टर संबंधी सूचना उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता को भी दी जायेगी।

5. संवेदक/सेवा प्रदाता द्वारा केन्द्र पर कर्मियों की उपस्थिति– प्रत्येक इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र के लिए अधिकृत संवेदक/सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त परामर्शदाता निर्धारित समय पर केन्द्र में उपस्थिति रहेंगे। केन्द्र के कार्मिको की उपस्थिति का विवरण पत्र संवेदक/सेवा प्रदाता द्वारा मासिक रूप से तैयार किया जा कर संबंधित ज़िले के उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता को प्रस्तुत किया जायेगा।

6. **विद्यालय में कैरियर काउंसलिंग/जानकारी:–** जिला मुख्यालय पर दो बालिका विद्यालयों का चिन्हीकरण व सभी आवश्यक व्यवस्थायें जिला कलेक्टर के निर्देशन में संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी से समन्वय कर उपनिदेशक/सहायक निदेशक महिला अधिकारिता द्वारा की जावेगी।

I. जिला मुख्यालय पर चिन्हित 2 बालिका विद्यालयों में 1 परामर्शदाता रोटेशन से कैरियर काउंसलिंग, किशोरावस्था में आने वाली मानसिक समस्याओं व माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन आदि पर जानकारी उपलब्ध करवायेगी।

II. चिन्हित विद्यालयों में परामर्शदाता द्वारा उक्त गतिविधियों का सम्पादन प्रति सप्ताह सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को किया जाएगा, इन में से किसी दिन राजकीय अवकाश होने पर अगले कार्य दिवस को गतिविधियां सम्पादित की जाएगी। परामर्शदाता द्वारा यह गतिविधिया विद्यालय समय में सम्पादित की जावेगी।

III. प्रति सप्ताह चिन्हित विद्यालयों में कैरियर काउंसलिंग/जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु परामर्शदाताओं का एक रोस्टर बनाया जावेगा, ताकि सभी परामर्शदाताओं द्वारा बारी–बारी से यह कार्य किया जा सकें। इस रोस्टर का निर्धारण केन्द्र प्रबन्धक द्वारा उपनिदेशक/सहायक निदेशक महिला अधिकारिता के निर्देशन में किया जाएगा।

Rajasthan Education Department

Scanned by CamScanner

IV. चिन्हित विद्यालयों में कैरियर काउंसलिंग/जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु परामर्शदाताओं को उचित स्थान/बैठने की व्यवस्था व अन्य सहयोग संबंधित विद्यालय के प्राचार्य द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

7. केन्द्र संवेदक/सेवा प्रदाता अथवा उसके किसी मानव संसाधन / कार्मिक /परामर्शदाता द्वारा किसी प्रकरण की गोपनीयसूचना को सार्वजनिक करने पर संबंधित कर्मी/व्यक्ति तथा संवेदक/सेवा प्रदाता को अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी माना जायेगा व तदानुसार कार्यवाही की जायेगी।

8. **सूचना पट्ट(नोटिस बोर्ड)–** केन्द्र के कक्ष के आगे केन्द्र का नाम, लोगो, संस्था प्रभारी, परामर्शदाताओं और अन्य कर्मियों के नाम और टेलीफोन नंबर आदि का सूचना पट्ट लगाया जायेगा।सूचना पट्ट का रंग सम्पूर्ण राज्य में समान होगा।

9. **इन्द्रिरा महिला शक्ति केंद्र पर उपलब्ध मानव सेवाएं–**

- **मानसिक, शारीरिक, आर्थिक वमनो–सामाजिक सहायता/परामर्श–**
  सम्पूर्ण जिले में ग्रामीण क्षेत्रों व शहरी क्षेत्रों की महिलाओं की मानसिक, शारीरिक, आर्थिक व सामाजिक समस्याओं को सुनने के लिये प्रतिदिन प्रातः 9 से सायं 6 बजे तक दूरभाष मेरी सहेली/सखी सहेली हेल्पलाईन का संचालन किया जायेगा, जिस पर प्रशिक्षित महिला काउंसलर्स बैठकर समाधान करेंगी या संबंधित विभाग को रैफर करेंगी।

- **कानूनी सहायता और परामर्श –**
  कानूनी सलाह विशेषज्ञ द्वारा आवश्यकतानुसार महिलाओं को निशुल्क परामर्शी सेवाऐं दी जायेंगी साथ ही जिला कानूनी/विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से कानूनी सहायता और परामर्श भी प्रदान/ रैफर किया जाएगा या संबंधित विभाग को रैफर किया जा सकेगा।

- **महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों या योजनाओं के बारे में जानकारी–**
  किसी भी महिला को उसकी जरूरत के आधार पर संबंधित विभाग के बारे में मार्गदर्शन व जानकारी प्रदान करना, साथ ही इनका लाभ प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाएं समझाना तथा आवश्यकतानुसार संबंधित विभाग को रैफर किया जा सकेगा।

- **आर्थिक सशक्तिकरण व आत्मरक्षा प्रशिक्षण–**
  इस केंद्र पर बालिकाएं एवं महिलाऐं आर्थिक सशक्तिकरण के लिये आत्मनिर्भर बनने, व्यक्तित्व विकास हेतु प्रशिक्षण व आत्मरक्षा प्रशिक्षण भी प्राप्त कर सकती है। यह व्यवस्था महिला शक्ति केद्रं प्रबंधक व जिलाधिकारी महिला अधिकारिता द्वारा सम्बंधित विभागों/अन्य प्रशिक्षण संस्थानों/सामाजिक संगठनों/स्वयं सेवी संस्थाओं के माध्यम से करवायी जा सकती है। निदेशालय के SHG प्रकोष्ठ द्वारा संचालित समस्त प्रशिक्षणों में पात्र महिलाओं/बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

- आवश्यकतानुसार प्रकरण को OSC / MSSKको रैफर करना।
- **केरियर काउसिलिंग, किशोरावस्था की मानसिक समस्याएं व माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन–** किशोरी बालिकाओं की समस्याओं के समाधान के लिये शिक्षा विभाग द्वारा प्रत्येक जिले के दो आदर्श (विवेकानन्द विद्यालयों/या जो भी हो) विद्यालय में अंशकालीन महिला परामर्शक सेवाऐं देंगी, जो केरियर काउंसलिंग, किशोरावस्था में आने वाली मानसिक समस्याओं व माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन आदि पर उन्हें सलाह देंगी एवं शिक्षा विभाग द्वारा संचालित आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम से भी जोडेंगी।
- **सूचना–केन्द्र** (Info Center) - यह केंद्र पर बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए एक सूचना संग्रह केन्द्र के रूप में विकसित किया जायेगा। सभी विभागों की बालिकाओं एवं महिलाओं से संबंधित योजनाओं, कार्यक्रमों से संबंधित सूचनाए, नौकरियों से संबंधित सूचनाएं एकत्रित करके वहां रखी जायेंगी, ताकि व्यक्तिशः केन्द्र पर आने वाली बालिकाएं एवं महिलाएं स्वयं को लाभान्वित कर सकेंगी।

10. भूमिका और जिम्मेदारियां

1. निदेशालय महिला अधिकारिता, महिला एवं बाल विकास विभाग–

1.1 नोडल विभागः राज्य में सभी 33 केन्द्रोंके कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण आंर निगरानी को सुनिश्चित करने और इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करना। इस हेतु उक्त योजना के सम्पूर्ण राज्य में क्रियान्वयन एंव पर्यवेक्षण हेतु निदेशालय महिला अधिकारिता में एक स्थाई प्रकोष्ठ इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्र प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा।

1.2 केन्द्र के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण का आयोजन।

1.3 एकीकृत सेवाओं के लिए 181 महिला हेल्पलाइन, सखी केन्द्र (OSC) व महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्रों के साथ समग्र समन्वय।

1.4 प्रचार– प्रसार सामग्री निर्माण एवं रणनीति तैयार करना।

1.5 ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में संबंधित विभागों/अधिकारियों से समन्वय करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन करना।

1.6 **जिला स्तर पर उपनिदेशक/सहायक निदेशक, महिला अधिकारिता की भूमिका– जिला कलेक्टर के निर्देशन में –**

1.6.1. इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र के सुचारू संचालन व अंतर–विभागीय समन्वय को सुनिश्चित करने में जिला कलेक्टर के निर्देशन में कार्य करना।

1.6.2 केन्द्र के कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए मासिक आधार पर पर्यवेक्षण करना।

1.6.3 जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में प्रबंधन समिति जिला स्तर पर इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र के कामकाज का प्रबंधन करेगी

Scanned by CamScanner

1.6.4 केन्द्र के सभी कार्मिकों को फोटो पहचान पत्र जारी कराना।

1.6.5 पानी, बिजली, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर, इंटरनेट, स्टेशनरी, आईईसी सामग्री सहित इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र में ढांचागत आवश्यकताओं और सभी सुविधाओं को सुनिश्चित करना।

1.6.6 संवेदक/सेवा प्रदाता द्वारा संचालित केन्द्र की निगरानी और पर्यवेक्षण करना और सुचारू कामकाज सुनिश्चित करने के लिए मासिक बैठकें आयोजित करना।

1.6.7 इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र की आवधिक प्रगति, भौतिक और वित्तीय रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करना।

1.6.8 बीबीबीपी की जिला टास्क फोर्स की त्रैमासिक बैठकें सुनिश्चित करवाना और इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र के प्रबंधन को नियमित एजेंडे में शामिल करना।

1.6.9 महिला एवं बाल विकास विभाग, पुलिस, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, कानून एवं कानूनी मामले, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं आईटी के अधिकारियों के बीच जिला स्तर पर अंतर–विभागीय समन्वय सुनिश्चित करना।

1.6.10 जिला वेबसाइट पर इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र की जानकारी सहित पता, संपर्क विवरण शामिल करवाना।

1.6.11 इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र के बारे में जागरूकता और प्रचार सुनिश्चित करना।

2 महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण एवं सुरक्षा हेतु विभिन्न प्रकार के क्षमतावर्द्धन प्रशिक्षणों का आयोजन–

2.1 निदेशालय के SHG प्रकोष्ठ द्वारा संचालित समस्त प्रशिक्षणों में पात्र महिलाओं/बालिकाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी।

Rajasthan Education Department

11. इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र पर सेवा प्रदाता के कार्मिक हेतु योग्यता, निर्धारित मानदण्ड व अनुभव–

इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र में दिन–प्रतिदिन के प्रबंधन, परामर्श, कॉल रिस्पांसिंग आदि की देखभाल करने वाली संस्था को केंद्र के प्रभावी कामकाज को पूरा करने के लिए चुने हुए क्षेत्रों में विशेषज्ञता की आवश्यकता होगी। सेवाओं की गुणात्मक प्रकृति को ध्यान में रखते हुए,योग्यता मानदंड निम्न अनुसार है–

राज्य स्तर पर

सलाहकार

- समाज कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री(MA- Social Work/Sociology/ Economics/ Women- Gender Studies)
- महिला हिंसा से संबंधित मुद्दों, कार्यक्रमों व योजनाओं के बारे में जानकारी

Scanned by CamScanner

- सरकारी/गैर सरकारी परियोजना में प्रशासनिक व्यवस्था/परामर्शकता में महिला मुद्दों पर 5 वर्षका कार्य अनुभव
- कम्प्यूटर की जानकारी –MS Offfice, Internet and Web browsing
- अंग्रेजी भाषा का ज्ञान
- दस्तावेजीकरण, केस वर्क, रिपोर्ट बनाने की जानकारी

आईटी कर्मचारी

- कम्प्यूटर में स्नातक डिग्री
- हिन्दी व अंग्रेजी टाईपिंग का जानकार–30 शब्द प्रति मिनट हिन्दी
- राज्य/जिला/गैर–सरकारी/आईटी आधारित संगठन में डेटा प्रबंधन, प्रक्रिया प्रलेखन और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूपों में कम से कम 3 साल का अनुभव तथा
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व अन्य आनॅ लाईन प्लेटफार्मस् की जानकारी।
- स्थानीय क्षेत्र की निवासी को प्राथमिकता

जिला स्तर पर

परामर्शदाता/विशेषज्ञ–

संवेदक/सेवा प्रदाता द्वारा 3 परामर्शदाता/1 केन्द्र प्रबन्धक, केन्द्र पर उपलब्ध कराये जाएंगे। उन परामर्शदाताओं में से एक समाजशास्त्र विशेषज्ञ, एक मनो–सामाजिक सहायता विशेषज्ञ तथा एक कानून विशेषज्ञ होगी। एक महिला केंद्र प्रबंधक होगी। सभी परामर्शदाताओ को सामान्य परामर्श और मार्गदर्शन, महिलाओं से संबंधित कार्यक्रमों व योजनाओं के बारे में जानकारी तथा कैरियर काउसलिंग, किशोरावस्था की मानसिक समस्याएं व माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त निदेशालय द्वारा उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जायेगा।

केंद्र प्रबंधक –

- समाज कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री (MSW/ MA-Sociology/ MA-Couselling/ MA- Gender Studies)
- सरकारी/गैर–सरकारी परियोजना/कार्यक्रम में महिला मुद्दों पर 5 वर्षका कार्य अनुभव के साथ **केंद्र प्रबंधन का अनुभव**
- कम्प्यूटर की जानकार –MS Offfice, Internet and Web browsing
- स्थानीय क्षेत्र की निवासी को प्राथमिकता

समाजशास्त्र विशेषज्ञ/परामर्शदात्री

- समाज कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री(MSW/ MA-Sociology/ MA-Couselling/ MA- Gender Studies)
- महिला हिंसा से संबंधित मुद्दों, कार्यक्रमों व योजनाओं के बारे में जानकारी
- केरियर काउसलिंग, किशोरावस्था की मानसिक समस्याएं व माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी

Scanned by CamScanner

186

- सरकारी/गैर–सरकारी परियोजना/कार्यक्रम में महिला मुद्दों पर 3 वर्षका कार्य अनुभव
- कम्प्यूटर की जानकार –MS Offfice, Internet and Web browsing
- स्थानीय क्षेत्र की निवासी को प्राथमिकता

मनो–सामाजिक सहायता विशेषज्ञ/परामर्शदात्री

- मनोविज्ञान स्नातकोत्तर डिग्री(MA- Pyscology/MSW/ MA-Sociology/ MA-Couselling/ MA-Gender Studies)
- जिला/राज्य स्तर पर किसी प्रतिष्ठित संस्था/मानसिक स्वास्थ्य संस्थान /क्लिनिक में परामर्शदाता/मनोचिकित्सक के रूप में काम करने का कम से कम 3 वर्ष का अनुभव है।
- कम्प्यूटर की जानकार –MS Offfice, Internet and Web browsing
- क्षेत्र केस वर्क की समझ
- स्थानीय क्षेत्र की निवासी को प्राथमिकता

कानून विशेषज्ञ/परामर्शदात्री

- LLB/समाज कार्य में स्नातकोत्तर डिग्री, पैरा लीगल प्रशिक्षण प्राप्त
- महिला के कानूनी अधिकारों व प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी
- जिसे सरकारी या गैर–सरकारी परियोजना में कानून विशेषज्ञ/परामर्शदात्री के रूप मेंकाम करने का कम से कम 3 साल का अनुभव हो।
- स्थानीय क्षेत्र की निवासी को प्राथमिकता

Rajasthan Education Department

आईटी कर्मचारी

- कम्प्यूटर में डिप्लोमा/ स्नातक डिग्री
- हिन्दी व अंग्रेजी टाईपिंग का जानकार
- राज्य/जिला/गैर–सरकारी/आईटी आधारित संगठन में डेटा प्रबंधन, प्रक्रिया प्रलेखन और वेब आधारित रिपोर्टिंग प्रारूपों में कम से कम 3 साल का अनुभव तथा
- वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व अन्य आनॅ लाईन प्लेटफार्मस् की जानकारी।
- स्थानीय क्षेत्र के निवासी को प्राथमिकता

कार्यालय सहायक

- 10वीं कक्षा तक शिक्षित
- क्षेत्र की/का स्थानीय निवासी
- ड्राइविंग लाइसेंसधारी–हल्के वाहन(मोटर साईकिल/कार/जीप)
- कार्य अनुभव

Scanned by CamScanner

इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र के दैनिक प्रशासन और संचालन के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SoP)

प्रक्रियात्मक

- परामर्शदाता, परामर्श सेवाएं प्रदान करने में निर्धारित दिशानिर्देशों और प्रोटोकॉल का पालन करेंगें।
- इंदिरा महिला शक्ति केंद्र पर मनोरोग विशेषज्ञ, समाजशास्त्र विशेषज्ञ व कानूनी सलाह विशेषज्ञ द्वारा महिलाओं व बालिकाओं को निशुल्क परामर्शी सेवाऐं दी जायेंगी।
- परामर्शदाता, कॉल लेगी; जरूरत के आधार पर प्राथमिक रेफ़रल करके डेटा रिकॉर्ड करेगी।
- संबंधित सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों व अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्रदान करेगी। वह उपरोक्त किसी भी तरह के लिए आवेदन करने वाली महिलाओं को सभी सहायता प्रदान करेगी
- महिलाओं व बालिकाओं को सामान्य परामर्श और मार्गदर्शन दिया जायेगा।
- महिलाओं व बालिकाओं को आर्थिक सशक्तीकरण व आत्मरक्षा प्रशिक्षण की जानकारीदी जायेंगी।
- महिला को उसके कानूनी अधिकारों के बारे में सूचित और उन्मुख करना
- बालिकाओं को कैरियर काउंसलिंग, किशोरावस्था की मानसिक समस्याएं व माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारीदी जायेंगी।
- वेब आधारित डेटा संग्रह के आधार पर मासिक/त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार करना जिसे प्रबंधन समिति को प्रस्तुत कर अनुमोदित कराना।
- कॉल करने वाली महिला/बालिका के प्रकरण का विवरण रिकॉर्ड एक सिस्टम मेंनिर्धारित प्रारूप और एक विशिष्ट आईडी संख्या के साथ फीड किया जाएगा। प्रकरण सम्बंधी रिकॉर्ड/डाटा/दस्तावेज बिना सक्षम स्तर की अनुमति (उपनिदेशक/सहायक निदेशक) के किसी को भी उपलब्ध नहीं कराया जायेगा।
- प्रकरण को आवश्यकता अनुसार तुरन्त रैफर किया जायेगा।
- इसी प्रकार, यदि परामर्श हेतु संदेश, ईमेल या मोबाइल एप के माध्यम से प्राप्त होती है तो संबंधित को परामर्श हेतु प्रदान करने के लिए संपर्क किया जाएगा।
- प्रशिक्षण या परामर्श यथा समय शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- महिला/बालिका को आवश्यकता अनुसार रेफरल सेवाएं प्रदान की जायेंगी।

कौशलात्मक

- इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र का स्टाफ हर समय अत्यंत विनम्र हो और फोन करने वाले की बात को धैर्यपूर्वक सुने।
- अपना परिचय दें और उसे इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र के कार्यों के बारे में बताएं।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते
Scanned by CamScanner

- महिला/लड़की को जवाब देने में संवेदनशीलता रखें और हेल्पलाइन को कॉल करने वाली को आश्वस्त किया जाना चाहिए कि उन्हें तुरन्त शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक प्राथमिक मदद मिलेगी।
- हेल्पलाइन कार्मिक कॉल करने वाले पर अपनी पहचान प्रकट करने के लिए जोर नहीं देगा, जब तक कि कॉल करने वाला सहमत न हो और उसे कॉल करने वाले कोआश्वस्त करना चाहिए कि उसकी पहचान और संपर्क जानकारी की गोपनीयता बनाए रखी जाएगी।
- जल्दी न करे, समय दे। महिला/बालिका को अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए समय दिया जायेगा।
- अन्त में महिला/बालिका से पूछना चाहिए कि क्या उसके कोई प्रश्न हैं। यदि हॉ तो प्रश्न पर उचित मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए।
- महिला/लड़की को व्यापक समर्थन और सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए अन्य पदाधिकारियों के साथ-साथ अन्य एजेंसियों और अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ समन्वय करना।
- हर स्तर पर मामले की अनुवर्ती कार्रवाई (Follow up) सुनिश्चित करना।

इंदिरा महिला शक्ति केंद्र योजना का समग्र क्रियान्वयन –

- इन्द्रा महिला शक्ति केंद्र योजना का समग्र क्रियान्वयन महिला अधिकारिता निदेशालय, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।
- **राज्य स्तर पर टास्क फोर्स State Task Force (STF)**
- राज्य स्तर पर, प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के प्रतिनिधित्व के साथ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP)के तहत गठित टास्क फोर्स ही राज्य भर में इन्द्रा महिला शक्ति केंद्र की निगरानी, समन्वय और सुधार हेतु समीक्षा करेगी।
- **इसी प्रकार संबंधित जिलों में भी** संबंधित जिले के जिला कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ (BBBP)के तहत गठित जिला टास्क फोर्स ही संबंधित जिलों में केन्द्र पर्यवेक्षण के लिए प्रभारी होगी।

रिपोर्टिंग/डेटा प्रबंधन (Reporting & Data Management)

- केंद्र के वित्तीय, प्रशासनिक और परिचालन पर प्रत्येक तिमाही में महिला अधिकारिता निदेशालय को सहायक निदेशक/उप निदेशक/संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता निदेशालय से अनुमोदित रिपोर्ट देना।
- सखी हेल्पलाइन द्वारा संदर्भित मामलों सहित कुल दर्ज मामलों की संख्या के संबंध में मासिक/त्रैमासिक सूचना प्रदान करने के लिए एक एमआईएस सुनिश्चित करना। डेटा हानि के मामले में एमआईएस का बैकअप सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुवर्ती कार्रवाई/प्रतिक्रिया Follow Up -

Scanned by CamScanner

- परामर्शदाता द्वारा प्रकरणों का नियमित तथा सहायक निदेशक/उप निदेशक/संरक्षण अधिकारी, महिला अधिकारिता द्वारा कुछ प्रकरणों का त्रैमासिक फलोअप किया जायेगा।

विधिक बिन्दु:–

1. इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्र हेतु आरटीपीपी अधिनियम द्वारा जिस भी संवेदक/मानव संसाधन सेवा प्रदाता का चयन किया जावे उसके अनुबन्ध पत्र में निम्न शर्तो को जोडा जावें "

(अ) संवेदक/ मानव संसाधन सेवा प्रदाता एवं महिला अधिकारिता विभाग/कार्यालय का अनुबन्ध आरटीपीपी अधिनियम अन्तर्गत निर्धारित अवधि के लिये किया जा रहा है। अनुबन्ध अवधि समाप्ति उपरान्त संवेदक/मानव संसाधन सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराए गए मानव सेवाओं/कार्मिकों का किसी भी प्रकार से इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्र अथवा केन्द्र संचालन से संबंध नही होगा।

(ब) इन्दिरा महिला शक्ति केन्द्र पर महिला अधिकारिता विभाग/कार्यालय व मानव सेवाएँ उपलब्ध कराने वाली संवेदक/मानव संसाधन सेवा प्रदाता के मध्य नियमानुसार निर्धारित अवधि हेतु अनुबन्ध किया जावेगा। ऐसी स्थिति में संवेदक/मानव संसाधन सेवा प्रदाता द्वारा जो भी मानव सेवाएँ/कार्मिक, इन्दिरा महिला शक्ति केद्र पर उपलब्ध कराये जाएगे, अनुबन्ध समाप्ति पर उन सभी मानव सेवाओं/कार्मिको की सेवाएँ स्वतः समाप्त मानी जाएगी तथा वे स्वतः ही कार्यमुक्त समझे जावेगे। एवं इस संबंध में संवेदक/मानव संसाधन सेवा प्रदाता अथवा उनके कार्मिक/मानव सेवाओं की किसी भी प्रकार की शिकायत अथवा अपील अथवा वाद स्वीकार्य नही होगा।

2. यदि संवेदक/मानव संसाधन सेवा प्रदाता द्वारा अनुबन्ध समाप्ति के उपरान्त कानूनी वाद किये जाने की सम्भावना हो तो वाद की सम्भावनाओं को देखते हुये इस हेतु महिला अधिकारिता विभाग के संबंधित कार्यालय/अधिकारी द्वारा अनुबन्ध समाप्ति के पूर्व न्यायालय में केवियट दाखिल कर ली जावें ताकि संवेदक/मानव संसाधन सेवा प्रदाता व उसके कार्मिकों/मानव सेवाओं को एकतरफा स्थगन आदेश प्राप्त न हो।

****

Rajasthan Education Department

Scanned by CamScanner

संलग्नक 1

प्रमुख विभागोंके साथ अभिसरण(Convergence) -

इंदिरा महिला शक्ति केन्द्रके कामकाज में प्रमुख विभागों की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां इस प्रकार हैं–

1. सामाजिक न्याय और अधिकारिता

1.1 स्वाधार गृह, नारी निकेतन, अल्प प्रवास गृह, कामकाजी महिला छात्रावास, लड़कियों के लिए बाल गृह, सभी को इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र के विषय में जानकारी देना व सहयोग देना।

1.2 बाल अधिकार निदेशालयको इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र के विषय में जानकारी देना व सहयोग देना।

2. शिक्षा विभाग

2.1 जिला मुख्यालय पर 2 बालिका विद्यालयों के चिन्हिकरण में सहायता

2.2 विद्यालयो में कैरियर काउंसलिंग, किशोरावस्था में आने वाली मानसिक समस्याओं व माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन आदि पर जानकारी उपलब्ध करवाने हेतु सहयोग प्रदान करने के निर्देश देना।

3. गृह विभाग

3.1 एकीकृत बचाव और रेफरल सेवाएं प्रदान करने के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबरों के साथ संपर्क स्थापित करना। इस संबंध में विभिन्न थानों को निर्देश जारी करना व आवश्यकतानुसार सहायता के लिए संदर्भित करने के लिए निर्देश जारी करना।

3.2 सभी पुलिस थानों में प्रमुख स्थानों पर इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र के बारे में सूचना का प्रदर्शन सुनिश्चित करना।

4. राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

4.1. महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील और जागरूक रहने वाले जिलावार पैरा लीगल वालंटियरों की सूची उपलब्ध कराएं ताकि उन्हें केन्द्र से जोड़ा जा सके।

4.2 सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों को विधिक जागरूकता शिविरों एवं कार्यक्रमों में इंदिरा महिला शक्ति केन्द्र के बारे में जागरूकता और प्रचार सुनिश्चित करना।

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

5. चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग–

5.1इंदिरा महिला शक्ति केन्द्रपरअस्पतालों औरएम्बुलेंस सेवाओं (सार्वजनिक और निजी) का पूरा पता, फोन नंबर साझा करें।

5.2मानसिक स्वास्थ्य (Mental Wellbeing) वदेखभाल पर परामर्श हेतु केन्द्र कर्मियों का उन्मुंखीकरण, प्रशिक्षण और संवेदीकरण में सहायता करना।

अन्तर विभागीय समन्वय

प्रत्येक त्रैमास में राज्य व जिला स्तर पर गठिम टास्क फोर्स की बैठक सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधि भाग लेंगें।

Scanned by CamScanner

केन्द्र पर प्रकरण दर्ज करने हेतु प्रारूप

3.महिला/बालिका का विवरण

1. पूरा नाम
2. पता
3. फोटो आईडी नंबर
4. संपर्क नंबर
5. ईमेल पता
6. हल किए जाने वाले मुद्दे का विवरण
7. समाधान

दिनांक

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

(192)

4.इंदिरा महिला शक्ति केन्द्रहेतु प्रस्तावितसेवा निर्देशिकाएं

(Suggestive directory of Services)

1. सभी अस्पताल मुख्य चिकित्सा अधिकारी
2. एम्बुलेंस सेवा
3. जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलेक्टर कार्यालय
4. कार्यालय एसपी, डीएसपी एवं समस्त पुलिस थाना
5. वन स्टॉप सेन्टर, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र तथा महिला हेल्पलाईन
6. उप निदेशक, सहायक निदेशक व सरक्षंण अधिकारी, पर्यवेक्षक–महिला अधिकारिता
7. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
8. जिला पंचायत राज अधिकारी
9. जिला शिक्षा अधिकारी
10. जिला समाज कल्याण अधिकारी
11. जिला चिकित्सा अधिकारी
12. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि
13. ग्रामीण विकास पदाधिकारी
14. गैर सरकारी संगठन/सीबीओ जो महिलाओं और बालिकाओं के लिए सेवारत हैं।
15. नेहरू युवा केन्द्रों/युवा मंडलों के सदस्य
16. स्वाधार गृह/शॉर्ट स्टे होम
17. सामाजिक न्याय मंत्रालय, गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास द्वारा हेल्पलाइन
18. काउंसलर, वन स्टॉप सेन्टर, महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्र
19. वार्ड/नगर पालिका की निर्देशिका
20. डब्ल्यूसीडी पदाधिकारियों की निर्देशिका अर्थात् सीडीपीओ, पर्यवेक्षक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा और एएनएम

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner